विश्व स्तनपान सप्ताह 2017 (1-7 अगस्त)

स्तनपान को जारी रखना

हितों के टकराव के बिना साझेदारी

उद्देश्य

1. स्तनपान की रक्षा, बढ़ावा देने हेतु तथा उसे सहारा देने हेतु समाज के प्रत्येक वर्ग तथा सरकारों से मदद प्राप्त करना। ध्यान रहे कि इसमे हितों का टकराव न हो।

2. विभिन्न सहयोगियों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना, ताकि स्तनपान एवं शिशु आहार (IYCF) की नीतियों एवं कार्यक्रमों को मजबूती दी जा सके।

3. स्तनपान एवं शिशु आहार के सही तरीकों को बढ़ावा देने हेतु कार्य करना।

bpni
putting child nutrition at the forefront of social change

IBFAN
defending breastfeeding

साझेदारी बनाने का एक मौका

2017 में विश्व स्तनपान सप्ताह को मनाते हुये 25 वर्ष पूरे हो गये। इस रजत जयंती वर्ष का लक्ष्य है कि मिलजुल कर कार्य करते हुये स्तनपान को बनाये रखा जाये। स्तनपान की रक्षा, बढ़ावा देना तथा उसकी सहायता करना, ये 3 ऐसे स्तंभ है जिनके आधार पर गरीब और अमीर दोनो देशों में स्तनपान को बढ़ाया जा सकता है। स्तनपान सतत् विकास लक्ष्यों को (Sustainable Development Goals) (SDG) 2030 तक प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इन लक्ष्यों में मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, गैर संचारी रोग (Non Communicable Diseases) पोषण, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और असमानताओं को कम करना है। इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण है कि स्तनपान इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

विश्व स्तनपान सप्ताह 2017 में हमें मौका मिला है कि उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम अपनी खुद की तथा सामूहिक जिम्मेदारी को कार्य में बदलें। सफलता को प्राप्त करने का मूल मन्त्र है कि हमारे हितों में कोई टकराव न हो। वरना स्तनपान की सफलता एक अधूरे सपने की तरह होगा।

स्तनपान सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं है। स्तनपान को सफल बनाने हेतु हमें, सरकारों, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार, समाज, नियोक्ताओं और उनके कार्य स्थलों सभी से सहयोग की जरूरत है आइये इस सप्ताह में हम लोग मिलजुलकर अपना कदम आगे बढ़ायें ताकि ठोस कार्य हो सके। छः माह तक बच्चों को सिर्फ मां का दूध मिले उसके बाद उचित और पर्याप्त मात्रा में अनुपूरक आहार मिले तथा स्तनपान दो साल या उससे अधिक समय तक जारी रहे।

संयुक्त राष्ट्रसंघ का कहना है कि ''स्तनपान माँ एवं बच्चे के लिये मानवाधिकार का मामला है। बच्चों को जीने का अधिकार है। उन्हें सर्वोत्तम स्वास्थ्य तथा विकास का अधिकार है। स्तनपान इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा शुद्ध एवं पोषक आहार भी। स्त्रियों को इस बात का अधिकार है कि उन्हे स्तनपान के बारे में सही और निष्पक्ष सूचनायें मिल सके ताकि वह सही निर्णय ले सकें। उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधायें भी मिलनी चाहिये। उन्हें मातृत्व सुरक्षा का भी अधिकार है जैसे– कार्य स्थलों पर तथा सार्वजनिक जगहों पर भी। तभी वे सफलतापूर्वक स्तनपान करा पायेगी।''

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा यूनिसेफ ने 1989 में स्तनपान की रक्षा उसको बढ़ावा देने तथा उसको सहारा देने के लिये एक संयुक्त आह्वान किया था। इसमें उन्होंने स्तनपान को बढ़ावा देने के लिये तीन मुख्य रणनीतियों का जिक्र किया था। स्तनपान की रक्षा करने के लिये हमें ऐसी नीतियां बनानी होगी जिससे स्तनपान एवं शिशुआहार को व्यापारिक क्षेत्र के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। सही और निश्पक्ष जानकारी देकर स्तनपान को बढ़ावा दिया जाये। जन्म के समय अस्पताल में और बाद में घर पर, समाज में और कार्य स्थल पर सहायता दी जाये।

आज वक्त आ गया है कि वे सभी लोग और संस्थायें जो बच्चों का भला चाहती है वे साझेदारी करें। सही जगह पर निवेश करें तभी स्तनपान को और बढ़ाया जा सकेगा।

Photo:http://everylifecounts.ndtv.com/why-are-indian-women-not-breastfeeding-5206

भारत वर्ष में स्तनपान तथा शिशु एवम् बच्चों के आहार की स्थिति

हमारे देश में स्तनपान अभी भी अपने सर्वोत्तम स्तर को नहीं छू पा रहा है। हमारे देश में दो करोड़ साठ लाख बच्चे हर साल पैदा होते हैं। यानी सत्तर हजार माताओं को प्रति दिन मदद की जरूरत है। NFHS-4 के अनुसार एक घण्टे में सिर्फ 41.6% बच्चे स्तनपान शुरू कर पाते हैं। (यानी 1.5 करोड़ बच्चे ऐसा नहीं कर पाते) विश्व स्वास्थय संगठन की सिफारिश के बावजूद सिर्फ 55% बच्चे छः माह तक पूर्ण स्तनपान कर पाते है। यह तब है जबकि 78.9% बच्चे अस्पतालों में जन्म ले रहे हैं। अतः हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में तुरन्त सुधार की आवश्यकता है।

अच्छी बात यह है एक तिहाई जिलों मे 60 प्रतिशत बच्चों का 6 माह तक केवल स्तनपान मिला (EBF)।

पिछले दस सालों में 6–8 महीने के बच्चों में अनुपूरक आहार देने में कमी आयी है। पहले यह संख्या 52.6 प्रतिशत थी जो अब घटकर 42.7 प्रतिशत रह गई है। यह हताश करने वाली बात है। सिर्फ 8.7 प्रतिशत बच्चों को 6–8 माह में पर्याप्त अनुपूरक आहार मिल पाता है। इसका अर्थ यह है कि दो करोड़ तीस लाख बच्चों को 6–24 माह में पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। इस समस्या का समाधान यह है कि जिनके पास भोजन नहीं है उन्हें स्थानीय स्तर पर ही भोजन उपलब्ध कराया जाए और जिनके पास नहीं है उन्हें उचित जानकारी प्रदान की जाए।

बर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेन्ड इनीसियेटिव (WBTI)

2015 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में स्तनपान और सहारा देने की नीतियाँ एवम् कार्यक्रम पर्याप्त नही है। हालांकि 2016 से इस दिशा में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है।

एक घण्टे के अन्दर स्तनपान की शुरूआत NFHS-4

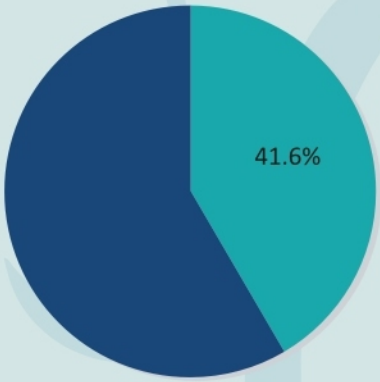

अस्पतालों में डिलीवरी NFHS-4

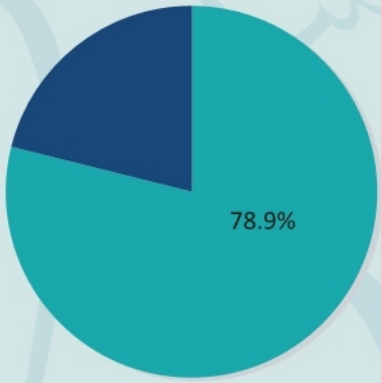

6 माह तक सिर्फ स्तनपान NFHS-4

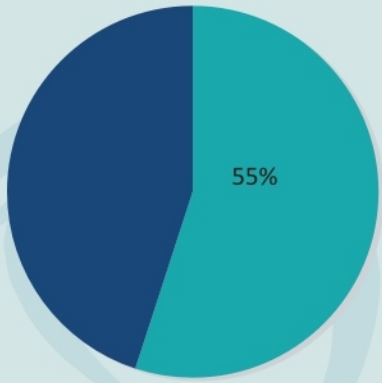

6–8 माह के बच्चे जिन्हे स्तनपान तथा अनुपूरक आहार मिलता है।

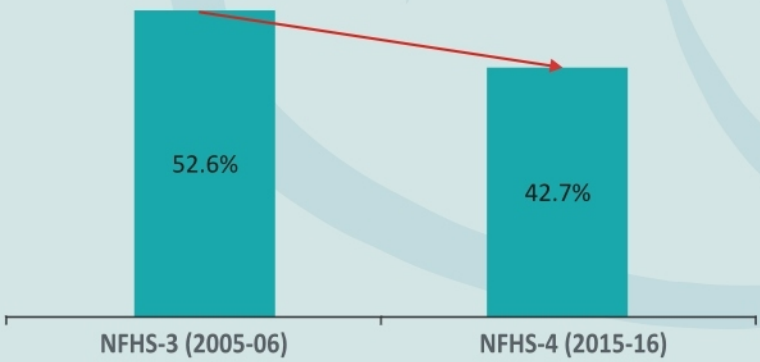

6–23 माह के स्तनपान करने वाले जिन्हे पर्याप्त अनुपूरक आहार मिला

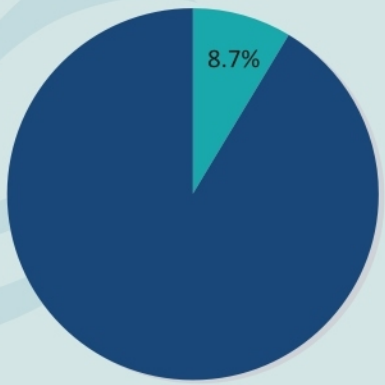

स्तनपान एवम् IYCF के दर को कैसे बढ़ायें?

स्तनपान के कार्यक्रमों के लिए पैसा जुटाना

Photo:http://fasttnet.com/wp-content/uploads/2016/01/RupeeImage.jpg

विश्व बैंक का एक अध्ययन बताता है कि स्तनपान में बढ़ावा देने में आप एक डालर खर्च करते हैं तो उसके बदले 35 डालर का फायदा मिलता है। इस अध्ययन में यह भी अनुमान लगाया गया है कि प्रतिवर्ष पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चें में 5 डालर का खर्च पड़ेगा तभी जाकर पूरी दुनिया में 50 प्रतिशत बच्चों को 6 माह तक मां का दूध (EBF) मिल सकेगा। स्तनपान को बढ़ावा देने में सबसे कम पैसा खर्च किया जाता है। अतः स्तनपान के समर्थकों को दान देने वाली एजेंसियों एवं वित मंत्रालय से पैसा इकट्ठा करना चाहिये। जब पैसा होगा तभी स्तनपान के कार्यक्रमों की देख रेख होगी और कार्यक्रम चलाने वाले अधिकारियों की प्राथमिकता में आ जायेगा।

सरकारी नीति एवं कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्यवन

भारत सरकार ने 2016 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की जिसे मां नाम दिया गया। (MAA- Mother's Absolute Affection) इस का लक्ष्य है स्तनपान को बढ़ावा देना। इसमें मां तथा परिवार को सीधे परामर्श सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। यह सारे राज्यों को सलाह देता है कि उन कार्यक्रमों को बढ़ावा दे जिससे जन्म के तुरन्त बाद स्तनपान शुरू कराया जाए और 6 माह तक सिर्फ स्तनपान दिया जाए।

स्तनपान की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने 1992 में IMS Act लागू किया और 2003 में इसका संशोधन भी पास हुआ। इस कानून को अच्छे से लागू किया जाना चाहिये। हाल में ही केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को एक पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि इस कानून को जिला स्तर तक लागू किया जाए।

हाल में ही लोक सभा ने एक कानून बनाकर मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह का कर दिया है। इस कानून को निजी क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी लागू होना चाहिये ताकि स्तनपान के दर को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हमारे देश को शिशु मित्रवत तरीकों को बढ़ावा देना चाहिये। सफल स्तनपान के जो दस कदम है उसे भी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में लागू करना चाहिये।

सामाजिक स्तर पर कार्य :

स्तनपान और IYCF की सहायता सामाजिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में हुए प्रोजेक्ट ने इस बात को साबित कर दिया ''मातृ सहायता समूहों'' (Mother Support Group) द्वारा अन्य माताओं को परामर्श दिये जाने से स्तनपान एवं शिशु आहार बेहतर हो जाता है और यह लम्बे समय तक बना रहता है। यह इस बात का उदाहरण है कि किस तरह से मुख्य साझेदार आपस में मिलकर के जिला स्तर पर कार्य कर सकतें हैं और एक स्थाई सफलता प्राप्त कर सकतें हैं। NFHS-4 के आकड़ों के अनुसार ललितपुर में EBF की दर 71.3% है। यह उत्तर प्रदेश के 41.6% और राष्ट्रीय स्तर के 54.9% से ज्यादा है।

समाज में स्थानीय सहायता समूहों और पंचायतों (Local Govt) से मद्द जरूर लेनी चाहिये और इस माडल को राज्य के हर एक जिले तक पहुचाना चाहिये।

पारिवारिक स्तर पर कार्य :

जीवन साथी जैसे पति, सास, ससुर या मित्र स्तनपान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करतें हैं। जब किसी मां को सहारा मिलता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह स्तनपान कराने में ज्यादा सक्षम हो जाती है। मां की मद्द हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे घर के कार्यों या बच्चों की देख भाल में मदद करके या समानुभूति द्वारा भावनात्मक मदद करना या सही जानकारी प्राप्त करने में मदद करना। B.P.N.I. का एक कम्प्यूटर App (Stanpan Suraksha) के नाम से गूगल प्ले एवम् एप्पल एप स्टोर पर उपलब्ध है जिसके द्वारा मद्द ली जा सकती है।

डब्बे का दूध या शिशु आहार बनाने वाली कम्पनियों की जिम्मेदारी :

इन कम्पनियों को भी जबाव देह होना चाहिये। उन्हें I.M.S. Act 1992 और 2003 में हुये संशोधनों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिये। उन्हें अपने महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देना चाहिये। इन्हें या इनके किसी भी कर्मचारी को स्वास्थ्य कर्मियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलना चाहिये। अप्रत्यक्ष का मतलब है किसी तरह का स्पांसरशिप, लालच या नगद लाभ नहीं देना चाहिये।

कार्य करने के लिए कुछ सुझाव

1. स्तनपान में मदद करने के लिए कुछ लोगों या संस्थाओं से स्थानीय स्तर पर साझेदारी करें परन्तु किसी भी तरह से हितों का टकराव नहीं होना चाहिये।
2. इस याचिका "Allocate dedicated budget for breastfeeding interventions and save infant lives" पर हस्ताक्षर करायें और इसे BPNI को भेंजे। यह http//bpni.org/wbw-2017 पर उपलब्ध है।
3. ललितपुर के माडल को अपने जिले में लागू करने की कोशिश करें।
4. माताओं के अधिकारों तथा मातृत्व अवकाश कानून 2017 के जागरूकता फैलाने हेतु सेमीनार करवायें।
5. ''स्तनपान सुरक्षा मोबाइल एप'' का इस्तेमाल करें और IMS Act का उल्लंघन होने पर उस पर सूचित करें।

Resources

1. Ministry of Health, Government of India letter to States Secretaries on implementation of the IMS Act
   http://bpni.org/WBW/2017/Letter-MOH-IMS-Act-2017.pdf
2. Maternity Benefit Amendment Act 2017
   http://labour.gov.in/sites/default/files/Maternity%20Benefit%20Amendment%20Act%2C2017%20.pdf
3. Clarification on Recently Notified Maternity Benefit (Amendment) Act,2017
   http://www.labour.nic.in/sites/default/files/The%20Maternity%20Benefit%20%28Amendment%29%20Act%2C2017%20-Clarifications.pdf
3. Salient features of the Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017
   http://bpni.org/WBW/2017/Salient-feature-Maternity-Benfit-Act-2017.pdf
4. Lalitpur Personified (Version 2015)
   https://www.youtube.com/watch?v=n8SQ-o6quug

References

1. Cesar G Victora, Rajiv Bahl, Aluísio J D Barros, Giovanny V A França, Susan Horton, Julia Krasevec, Simon Murch, Mari Jeeva Sankar, Neff Walker, Nigel C Rollins, for The Lancet Breastfeeding Series Group*. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect Lancet 2016; 387: 47590

2. Joint statement by the UN Special Rapporteurs in support of increased efforts to promote, support and protect breast-feeding.
Http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20871

3. World Health Organization, UNICEF. Protecting, promoting and supporting breastfeeding: the special role of maternity services.
http://whqlibdoc.who.int/ publications/9241561300.pdf. Published 1989. Accessed February 8, 2013.

4. World Breastfeeding Trends Initiative, 4th Assessment of India's Policies and Programmes on Infant and Young Child Feeding 2015.
http://bpni.org/report/WBTi-India-Report-2015.pdf

5. Kushwaha KP, Sankar J, Sankar MJ et al. Effect of Peer Counselling by Mother Support Groups on Infant and Young Child Feeding Practices: The Lalitpur Experience. Plos One 2014; 9(11): e109181.

What is BPNI

BPNI is a 25 years old registered, independent, non-profit, national organisation that works towards protecting, promoting and supporting breastfeeding and appropriate complementary feeding of infants and young children. BPNI works through advocacy, social mobilization, information sharing, education, research, training and monitoring the company compliance with the IMS Act. BPNI is the Regional Coordinating Office for International Baby Food Action Network (IBFAN) Asia.

BPNIs Ethical Policy

BPNI does not accept funds or any support from the companies manufacturing baby foods, feeding bottles or infant feeding related equipments. BPNI does not associate with organizations having conflicts of Interest.

Acknowledgements

This action folder has been produced by the Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI)/ International Baby Food Action Network (IBFAN)-Asia with the Support of the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

Written by: Dr. Shoba Suri and Dr Arun Gupta

Edited by: Dr JP Dadhich and Nupur Bidla

Designed by: Amit Dahiya

हिन्दी रूपान्तर- डा. बी.बी. गुप्ता, डा. के.पी. कुशवाहा, गोरखपुर

सहयोग - डा. महिमा मित्तल, श्री प्रवीण दूबे, बाल रोग विभाग, बी.आर.डी. मेडिकल कालेज, गोरखपुर

Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI)
Asia Regional Coordinating Office for IBFAN
Address: BP-33, Pitampura, Delhi 110 034.
Tel: +91-11-27312705, 27312706, 42683059
Email: bpni@bpni.org. *Website:* www.bpni.org